न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/153

बृजकंवर पुत्री रतन सिह (मन्दबुद्धि) जरिये संरक्षक भाई धनराज सिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह हाल निगम कॉलोनी, छावनी कोटा ।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. विजय लक्ष्मी पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/2. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/3. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/4. दीपिका सिंह पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासीगण 05–ओ 11 महावीर नगर – तृतीय कोटा ।
2. भंवर बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी शिवमंगल सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
3. आनन्दी बाई उर्फ आनन्द कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
4. चतर कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोल्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर ।
5. संतोष कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. देवेन्द्र कंवर उर्फ अच्छन कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी पृथ्वीराज जाति राजपूत मकान नं0 103 दीप विहार बजरी मण्डी रोड नियर 200 फीट वाईपस वैशाली नगर, जयपुर ।
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. जसवन्त कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
   7/2. जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
   7/3. शकुन कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 7/1 से 7/3 की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 04 एवं 06 की ओर से ।

दिनांक: 30.12.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी जन्मजात विकृतचित्त (मन्दबुद्धि) मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर महिला है एवं कुवारी है । वादिनी के पिता रतन सिंह ने अपनी पुश्तैनी खाते काश्त की भूमि में से दिनांक 15.10.2011 को वादिनी के भविष्य व जीवन–यापन के लिये जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र आराजी ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा की कुल 16 किता की 4.80 हैक्टर भूमि बिना प्रतिफल के दान कर दी जो वादिनी के खाते में दर्ज है । वादिनी के पिता श्री रतन सिंह जी का देहान्त दिनांक 24.01.2010 को हो गया उनके स्वर्गवास के बाद पक्षकारान की माता श्रीमती अनारबाई बहैसियत संरक्षक वादिनी बृजकंवर एवं बृज कंवर के खाते की भूमि की काश्त व्यवस्था ताजिन्दगी करती रही जिनका स्वर्गवास दिनांक 18.12.2012 को हो गया । दोनों ने किसी भी वारिस को वादिनी का संरक्षक वसीयत द्वारा नियुक्त नहीं किया । पक्षकारान के पिता ने अपनी वसीयतों में हमेशा वादिनी को अविवाहित एवं मन्दबुद्धि के रूप में स्वीकारा है। प्रतिवादी कम 2, 3, 4, 5 एवं 6 स्व0 रतनसिंह की पुत्रियॉ है तथा प्रतिवादी कम 1 एवं 7 पुत्र है तथा धनराज सिंह वादिनी का सबसे बडा भाई है और कानूनन वादिनी का एकमात्र संरक्षक है । प्रतिवादी कम 04 एवं 06 ने पुश्तैनी भूमि जो माता को भरण पोषणा हेतु पारिवारिक समझौते में दी थी माता अनार बाई को धोखे में रख बहला फुसला कर फर्जी दान वसीयत करा ली । प्रतिवादीगण वादिनी की भूमि को जबरन मुनाफा काश्त पर दीगर व्यक्तियों को देकर खुर्द–बुर्द करने के प्रयास में है ।

3. अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी विकृतचित होने से वाद बहैसियत वाद मित्र वादिनी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वादिनी के खाते में की आराजी कुल 16 किता की रकबा 4.80 हैक्टर आराजी पर स्वयं प्रतिवादीगण और न ही उनके प्रतिनिधि वादिनी की काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे और उक्त भूमि को अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरित नहीं करावें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. वादिनी ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2016 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वादिनी की ओर से जरिये संरक्षक भाई वादमित्र धनराज सिंह द्वारा वाद पेश किया है । धनराज सिंह न तो वादिनी की देखभाल करते हैं और न ही वादिनी उनके साथ रहती है। धनराज सिंह की वादिनी से बोलचाल भी नहीं है । वादिनी ने धनराज को वादिनी का संरक्षक नियुक्त नहीं किया है । धनराज सिंह द्वारा गलत वाद पेश किया है जिसे वादिनी विड्रो करना चाहती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद विड्रो किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 17.02.2016 के द्वारा वादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादिनी का वाद विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादिनी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कथन अंकित किया है कि आदेश 32 में मन्दबुद्धि का जिक्र नहीं है विधि की एक भूल है क्योंकि सीपीसी में ही आदेश 32 नियम 15 में यह तथ्य अंकित है कि आदेश 32 नियम 1 से 13 अवयस्क पर लागू हैं तथा जहॉ व्यक्ति विकृतचित्त (मन्दबुद्धि) है वह प्रावधान आदेश 32 नियम 1 से 12 वहॉ मन्दबुद्धि के रूप में बढे जावेंगे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक तथ्य को दर किनार करते हुए निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के पिता द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 15.10.2001 को तथा अपीलान्ट के पिता द्वारा की गई वसीयत पारिवारिक समझौते इत्यादि में वादिनी अपीलान्ट को मन्दबुद्धि कह कर सम्बोधित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मन्दबुद्धि नहीं माना गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादिनी अपीलान्ट द्वारा जरिये संरक्षक भाई धनराज वाद मित्र के माध्यम से एक दावा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 92(ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था और यह कथन किया था कि वादिनी जन्मजात से मन्दबुद्धि है मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर महिला है एवं कुवारी है । वादिनी के पिता रतन सिंह ने अपनी पुश्तैनी खाते काश्त की भूमि में से दिनांक 15.10.2011 को वादिनी के भविष्य व जीवन–यापन के लिये जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र आराजी ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा की कुल 16 किता की 4.80 हैक्टर भूमि बिना प्रतिफल के दान कर दी जो वादिनी के खाते में दर्ज है । वादिनी के माता–पिता का देहान्त हो चुका है । वादिनी के माता – पिता द्वारा उनका किसी को भी संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है । प्रतिवादी क्रम 2 से 4 के द्वारा पूर्व में अपीलान्ट की माता अनारबाई को जो भूमि भरण–पोषण अपीलान्ट के पिता ने पारिवारिक समझौते में दी थी उनको अनारबाई को धोखे में रखकर अपने नाम दान व वसीयत करवा लिया है । अपीलान्ट ने जरिये वादमित्र अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था कि अपीलान्ट को दान की गई आराजी में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करें जिसे कपटपूर्वक प्रतिवोदी क्रम 4 से 6 द्वारा अपने अधिवक्ता से विड्रों करवा लिया । सीपीसी के आदेश 32 निमय 15 में यह तथ्य अंकित हैं कि आदेश 32 नियम 1 से 13 अवयस्क व्यक्ति पर लागू होते हैं और जब व्यक्ति मन्दबुद्धि है वहॉ आदेश 32 नियम 1 से 12 मन्दबुद्धि के रूप में बढे जावेंगे। अपीलान्ट के पिता ने भी पारिवारिक समझौते इत्यादि में बृजकंवर को मन्दबुद्धि कहकर सम्बोधित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को मन्दबुद्धि नहीं माना है पिता से अधिक विश्वसनीय साक्ष्य और कोई नहीं हो सकती । अधीनस्थ न्यायालय इस बाबत् तनकी कायम करके भी अपना निर्णय पारित कर सकते थे । बिना संरक्षक वादमित्र की स्वीकृति के दावे को विड्रो करने की अनुमति दी गई है । न्यायालय के द्वारा जरिये संरक्षक वाद पेश करने की अनुमति प्रदान की थी । एक जीप जो कि अनारबाई के नाम थी उसमें अनारबाई की मृत्यु के बाद दिनांक 05.02.2013 को फर्जी हस्ताक्षर कर रेस्पोडेन्टगण ने अन्तरित करवायी है जबकि अनारबाई की मृत्यु दिनांक 18.12.2012 को ही हो चुकी थी । प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण के इस कृत्य से इस बात की संभावना है कि अपीलान्ट वादिनी जो कि

मन्दबुद्धि है उनके जीवनयापन के लिए उनके पिता के द्वारा छोडी गई सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बृजकंवर की ओर से एक दावा वादमित्र बनकर पेश किया है और बृजकंवर को मन्दबुद्धि बताया गया है जबकि सीपीसी के आदेश 32 के अन्दर मन्दबुद्धि नाम के किसी व्यक्ति का विवेचन एवं उल्लेख नहीं है । इसमें अनसाउण्ड माइण्ड का उपयोग लिया गया है मन्दबुद्धि व्यक्ति अनसाउण्ड माइण्ड का व्यक्ति नहीं होता है । वादी की ओर से दावा पेश करने के लिए उनके भ्राता धनराज को किसी भी न्यायालय ने वादमित्र नियुक्त नहीं किया है और न ही उनके द्वारा किसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें कि बृजकंवर को अनसाउण्ड माईण्ड प्रमाणित किया गया हो । बृजकंवर 52 साल की महिला है जो पढी–लिखी है और अपने हित और अहित समझती है। उनके द्वारा दावे को विड्रो किया गया है । धनराज सिंह को उनकी ओर से दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । दावे को विड्रो किया गया है जिसकी अपील आदेश 43 सीपीसी के तहत मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि विड्रो आदेश 23 सीपीसी के तहत किया गया है । अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन पेश कर सकते हैं । जीप वाले प्रकरण में एफ0 आर0 दाखिल हो चुकी है । धनराज सिंह के द्वारा एक प्रकरण सिविल न्यायालय में भी बृजकंवर की ओर से पेश किया था जिसे as withdrawn खारिज किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 बहाल रखा जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान करने का कथन किया ।

12. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में न्यायालय सी0जे0 एण्ड जे0एम0, दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2015 की प्रमाणित प्रति पेश की है । चूँकि निर्णय इन्हीं पक्षकारों से सम्बन्धित है और प्रकरण से प्रासंगिक है, अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में बृजकंवर के ओर से उनको मन्दबुद्धि बताते हुए उनके संरक्षक की हैसियत से धनराज सिंह ने यह दावा अन्तर्गत धारा 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया ।

14. पत्रावली में दिनांक 20.01.2016 को बृजकंवर की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि धनराज सिंह न तो वादिनी की देखभाल करता है और न ही वादिनी उनके साथ रहती है । वादिनी की उनसे बोलचाल भी नहीं है । धनराज सिंह के द्वारा गलत दावा पेश किया है उसको वादिनी विड्रो कर रही है । किसी भी न्यायालय के द्वारा धनराज सिंह को

वादिनी का संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया है । वादिनी स्वयं सक्षम है वो अपने हिस्से की आराजी की स्वयं देखभाल करती है । अतः दावे को विड्रो किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय से दावे को विड्रो करने की अनुमति दी है ।

15. वादिनी की ओर से उनके वादमित्र की हैसियत से धनराज सिंह ने जो दावा पेश किया है उसमें उनके द्वारा बृजकंवर वादिनी को मन्दबुद्धि बताया गया है परन्तु इसके समर्थन में कोई चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है और न ही किसी न्यायालय का ऐसा आदेश पत्रावली में संलग्न किया है जिसमें कि धनराज सिंह को बृजकंवर का संरक्षक नियुक्त किया गया हो । सीपीसी के आदेश 32 नियम 15 में यह उल्लेख किया गया है कि आदेश 32 नियम 1से 14 तक 02 (क) के अलावा विकृतचित्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगे परन्तु विकृतचित्त का आशय मन्दबुद्धि नहीं होता है । इस कारण आदेश 32 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं ।

16. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर संलग्न नहीं किया गया है जिसके अनुसार धनराज सिंह को बृजकंवर का संरक्षक नियुक्त किया गया हो । इस प्रकरण में सिविल न्यायालय सी0जे0 एण्ड जे0एम0, दीगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2015 भी प्रासंगिक है जिसमें सिविल न्यायालय के द्वारा बृजकंवर की ओर से पेश किये प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा विड्रो करने अनुमति दी गई है । इस निर्णय में भी यह माना गया है कि धनराज सिंह ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि बृजकंवर के विकृतचित्त होना प्रमाणित हो एवं धनराज को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया हो ।

17. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को as withdrawn खारिज किया है और दावे का प्रत्याहरण आदेश 23 सीपीसी के आदेश से शासित है । सीपीसी के आदेश 23 के तहत पारित निर्णय के खिलाफ आदेश 43 के अनुसार अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

18. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है व उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

20. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/12/19

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/153

बृजकंवर पुत्री रतन सिह (मन्दबुद्धि) जरिये संरक्षक भाई धनराज सिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह हाल निगम कॉलोनी, छावनी कोटा

——अपीलार्थी

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   1/1. विजय लक्ष्मी पत्नी मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/2. सत्येन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/3. धर्मेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह जाति राजपूत ।
   1/4. दीपिका सिंह पुत्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासीगण 05—ओ 11 महावीर नगर — तृतीय कोटा ।
2. भंवर बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी शिवमंगल सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
3. आनन्दी बाई उर्फ आनन्द कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
4. चतर कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोल्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर ।
5. संतोष कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. देवेन्द्र कंवर उर्फ अच्छन कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी पृथ्वीराज जाति राजपूत मकान नं0 103 दीप विहार बजरी मण्डी रोड नियर 200 फीट वाईपस वैशाली नगर, जयपुर ।
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   7/1. जसवन्त कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
   7/2. जितेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत ।
   7/3. शकुन कंवर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोटडादीप सिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2016 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

134/दावा/2013

बृजकंवर पुत्री रतन सिह (मन्दबुद्धि) जरिये संरक्षक भाई धनराज सिंह पुत्र स्व0 रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह हाल निगम कॉलोनी, छावनी कोटा

——वादी

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 05 –ओ–11 महावीर नगर तृतीय, कोटा ।
2. भंवर बाई पुत्री रतन सिंह पत्नी शिवमंगल सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
3. आनन्दी बाई उर्फ आनन्द कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बाटोदा वाया पिपलाई तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर ।
4. चतर कंवर पुत्री रतनसिंह पत्नी विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी जोल्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर ।
5. संतोष कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी कोटडा दीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. देवेन्द्र कंवर उर्फ अच्छन कंवर पुत्री रतन सिंह पत्नी पृथ्वीराज आयु 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी जालेन्दा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर हाल निवास ए–23 दून पब्लिक स्कूल के पास, सन्नी नगर, झोटवाडा जयपुर ।
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह अी आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भगवती बल्लभ शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 7/1 से 7/3 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 04 एवं 06 की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा